

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

सं. एफ. 2/08/2020/एस-1/पार्ट फा०/228

दिनांक: 15.06.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड-19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय- समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए ।

और, जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश संख्या एफ 2/08/2020/एस-1/पार्ट फाईल/194 दिनांक 24.5.2020 जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी घरेलू यात्रा (हवाई /ट्रेन/अंतर-राज्य बस यात्रा) के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसे स्व निगरानी/संगरोध के बारे में स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 9 के संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या एफ 2/08/2020/एस-1/पार्ट फाईल/216 दिनांक 03.6.2020 द्वारा आंशिक रूप से आशोधित किया गया था ।

अब, इसलिए पूर्वोक्त आदेश की अवधि 24.5.2020 और 03.6.2020 के अनुक्रम में तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अद्योहस्ताक्षरी एतद द्वारा निर्देश देते हैं कि सभी संवैधानिक और सरकारी अधिकारियों और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में जो अधिकारिक कार्य पर राज्यों में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटाइन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाती है, यदि वे बिना लक्षण वाले हैं। हालांकि, उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि उनमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें जिला निगरानी अधिकारी अथवा राज्य/राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचित करना चाहिए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :-

1. अपर सचिव, नागरिक उड़डयन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अध्यक्ष, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण।
3. सुश्री उषा पांडी, नागरिक उड़डयन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. महाप्रबंधक, नागरिक उड़डयन सुरक्षा ब्यूरो।
5. महाप्रबंधक, उत्तरी रेलवे।
6. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
7. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
8. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव—सह—आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
11. प्रबंधक निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम।
12. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
14. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
15. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. नि.स. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार।
2. नि.स.रेलवे मंत्री, भारत सरकार।
3. नि.स. माननीय मंत्री राज्य (आई/सी) नागरिक उड़डयन, भारत सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
5. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय उप—मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. सचिव, माननीय खादय एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. प्रधान सचिव (राजस्व)—सह—मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
15. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. गार्ड फाइल।